

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में जजुराली तक शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का

नव निर्माण कार्य।

जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम -गडानी जजुराली दुमैत मालू खेत मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं० 1594/जिला योजना/2012-13 दिनांक 22/01/2013 द्वारा 3.00 किमी० हेतु रु० 37.8 लाख स्वीकृत हुआ है। विभाग द्वारा 3.00 किमी० लम्बाई हेतु प्रस्ताव रखा गया था। जिसमें 9.00 मी० चौड़ाई के अनुसार राज्य भूमि 0.36 हे०, नाप भूमि 0.99 हे०, वन पंचायत 1.33 हे० प्रभावित होती है। उक्त मार्ग के निर्माण से जजुराली की कुल 851 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त मो० मार्ग में दो समरेखन पर विचार किया गया। वैकल्पिक समरेखन उपयुक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखन में प्रभावित होने वाली 1.71 हे० वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखन है।

वन भूमि में मोटर मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य

1. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र लगभग 65 प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 63 प्रतिशत ही वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि औचित्यपूर्ण है।
2. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने एवं कास्तकारों के छोटे छोटे भागों में भू स्वामित्व होने के कारण मोटर मार्ग को सम्पूर्ण लम्बाई में नाप भूमि में बनाया जाना सम्भव नहीं है।
3. इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी में सहुलियत होगी।
3. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पों में विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है दो संरेखणों में सर्वेक्षण करने के पश्चात भू वैज्ञानिक की रिपोर्ट, मोटर मार्ग की लम्बाई कम होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वृक्षों के कम प्रभावित होने तथा उत्सर्जित मलवे की मात्रा कम होने के कारण एक मात्र यही संरेखण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गया।

अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़।